न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

प्र.सं. 10/2019
आरसीएमएस : 2019/00033

1. बलजीत कौर पुत्री साधू सिंह पत्नी सुखविन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 31 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. छिन्द्र कौर पुत्री साधू सिंह पत्नी रघुवीर सिंह जाति कम्बोसिख निवासी जोधपुर रमाणा तहसील नरवाणा जिला भटिण्डा पंजाब
3. बलविन्द्र कौर पुत्री साधू सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 4 एमएसआर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
4. कुलदीप कौर पुत्री साधू सिंह पत्नी चरणजीत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी डबलीराठान जिला हनुमानगढ़ राज0
5. सन्दीप कौर उर्फ वीरपाल कौर पुत्री साधू सिंह पत्नी हरजीत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

सभी बजरिये मुखत्यार आम – हरजीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. लखविन्द्र सिंह पुत्र साधू सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 19 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजदीप कौर पुत्री साधू सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 19 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. अमनप्रीत कौर पत्नी साधू सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 19 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई, वकील प्रार्थीगण
2. श्री गुरप्रताप सिंह, अप्रार्थी सं. 1

–: **निर्णय** :–

दिनांक : 23.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1–2 के पिता व अप्रार्थी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 5 तरतीबी के पति साधू सिंह पुत्र सुरेन उर्फ सुरायण सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 19 आरबी तहसील रायसिंहनगर के नाम से चक 20 आरबी के खाता सं. 8/5 में मु.नं. [illegible] .89है0 में से 1.265है. नहरी मय खाला, खाता सं. 63/5[illegible] 50 की [illegible] 10है. [illegible] 1.948है. नहरी मय खाला, खाता सं. 64/55 में मु.नं. 30,37[illegible] [illegible] इस प्रकार तीनों खातों में साधू सिंह की कुल 4.2198है0 [illegible] जो भूमि साधूसिंह की स्वयं पैदाकर्ता ना होकर अपने पूर्वज से प्राप्त होने से पैतृक सम्पति होने से इस भूमि में प्रार्थी[illegible] का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है, और साधूसिं[illegible] के जीवनकाल में ही अपने अ[illegible] भाग के रकबा पर काबिज काश्त निरन्तर वर्तमान तक चले आ रहे हैं।

साधू सिंह का देहान्त दिनांक 01.02.2019 को हो चुका हैं, जिनके प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1–2 के पिता व अप्रार्थी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 5 तरतीबी जायज वारिसान, उत्तराधिकारी व विधिक प्रतिनिधि हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1–2 प्रत्येक 1/8 भाग व अप्रार्थी सं. 3 व तरतीबी प्रति. सं. 5 दोनों का 1/8 भाग बहिस्सा बराबर पर हक हैं व प्रार्थीगण अपने 5/8 हिस्सा का खातेदार घोषित करवा अभिलेखों में अमलदरामद करवाने के

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 साधूसिंह की दूसरी पत्नी व दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान हैं। विवादित रकबा पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा निहित हैं साधू सिंह स्वयं किसी भी तरह के भूमि हस्तांन्तरण संबंधी दस्तावेज से वंचित करने के अधिकार अपने जीवनकाल में नहीं रखते थे। अगर ऐसा कोई दस्तावेज होगा भी तो वह प्रारंभ से ही प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के विपरीत शुरू से ही प्रभावहीन व शून्य विधि अनुसार हैं।

प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से बावजूद बार बार अनुरोध करने कि वे प्रार्थीगण के विवादित रकबा में निहित हक व अधिकारों को स्वीकारते हुए तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवें और उनके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत करने से वर्जित रहे तो वे प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 17.02.2019 को बमुकाम 19 आरबी में इन्कार होकर स्पष्ट रूप से यह धमकी दी कि वे प्रार्थीगण को जबरन विधिविरूद्ध तरके से बेदखल करते हुए रकबा किसी अन्य को रहन बैय या अन्य तरीके से अन्तरित कर कब्जा अन्य हाथों में सुपुर्द करेंगे। यदि वे कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण का वाद लाने का वाद का मकसद ही फौत हो जावेगा और अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा कि वे विवादित भूमि में प्रार्थीगण को उनके 5/8 भाग के रकबा से बेदखल करने, रहन बैय या अन्य किसी तरीके से अन्तरित करने से एवं कब्जा अन्य को सुपुर्द करने से बाज व ममनु रहे तथा रिकार्ड की स्थिति यथवत बनाये रखें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2–3 के विरूद्ध दिनांक 06.11.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि साधूसिंह की खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पति थी जिनकी सेवा चाकरी वं देखभाल अप्रार्थी ही करता था इसलिए साधू सिंह ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से बिला किसी दबाव व प्रभाव के रोबरू गवाहान अपनी उक्त स्वअर्जित सम्पति की वसीयत अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 10.07.2008 को ही निष्पादित करवा उप पंजीयक गजसिंहपुर से पंजीकृत करवा दी थी। जिस वसीयत का प्रारंभ से भलीभांति ज्ञान प्रार्थीगण व अन्य वारिसान साधू सिंह को था, साधूसिंह के जीवित रहते उन्होंने कभी भी कोई उजर ऐतराज नहीं किया। वसीयतन नामान्तरण पूरी सुनवाई के उपरांत अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज हुआ तथा कब्जा भी एकल व स्वतंत्र रूप से अप्रार्थी का चला आ रहा हैं। भूमि पैतृक नहीं हैं। प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण विवादित रकबा में किसी प्रकार का कोई हक–हकूक व अधिकार घाषित करवा पाने के कतई विधिक अधिकारी नहीं हैं। दिनांक 17.02.2019 को प्रार्थीगण अप्रार्थी से नहीं मिले। प्रार्थीगण को किसी प्रकार के अपूर्णीय क्षति होने का अन्देशा नहीं हैं। इससे पूर्व भी प्रार्थीगण ने विवादित भूमि के संबंध में समान अनुतोष, समान पक्षकार बनाते हुये माननीय न्यायालय में वाद पेश किया जो दिनांक 21.03.2011 को खारिज हुआ। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। अप्रार्थी खातेदार हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया हैं कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता साधू सिंह को उनके पिता से प्राप्त हुई थी जो प्रार्थीगण की विरास्तन पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती हैं, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित होने के कारण साधू सिंह को कोई दस्तावेज विवादित भूमि के सबंध में निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। तथाकथित दस्तावेज शुरू से ही प्रभावहीन व शून्य हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थी भूमि को रहन बैय कर देता हैं तो मुकदमाबाजी बढेगी एवं प्रार्थीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि पर रिकार्ड [illegible] की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने [illegible] भूमि साधू सिंह की

वकील अप्रार्थी अपनी बहस में कथन किया [illegible] साधूसिंह द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में स्वअर्जित खरीदशुदा भूमि थी, जिसकी वसीयत स्वेच्छा [illegible] उप पंजीयक के समक्ष निष्पादित करवा दी थी। प्रार्थीगण [illegible]दित भूमि में से हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं हैं। अप्रार्थी भूमि का खातेदार हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा और अपूर्णीय क्षति होगी।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की चित्रप्रति अनुसार विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 लखविन्द्र सिंह के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विवादित भूमि के पैतृक सम्पति होने संबंधी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी के पक्ष में हैं। अप्रार्थी रिकार्डेड टिनेंट हैं। यदि अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा तथा प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं हैं। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य हैं।

—:: आदेश ::—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 अस्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.02.2019 को निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested